

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 01/2021-सीमाशुल्क(सीवीडी)

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021

सा. का. नि. .... (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2020-सीमाशुल्क (सीवीडी), तारीख 9 अक्टूबर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 623(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का विखंडन करती है।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/02/2021-टी.आर.यू.]

(राजीव रंजन)  
अवर सचिव, भारत सरकार